तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2023 बअनवान आशादेवी बनाम बीजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 16.12.2024

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता-अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता-रेस्पोडेंटस

अपीलार्थीनी ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2023 अनवान आशादेवी बनाम बीजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 26 रकबा 310 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बड़ीसिड़ (जम्भेश्वरनगर द्वितीय) स्व. बुधाराम की खातेदारी भूमि थी तथा उनका देहान्त होने पर हिंदु विधि के अनुसार पुत्रीयों व पौत्र को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे, लेकिन मात्र नामांतरकरण की कार्यवाही में नाम नहीं आने के कारण अपीलार्थीनी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। मौके पर अपीलार्थीनी का कब्जा काश्त है, इस कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीनी के पक्ष में है। अपीलार्थीनी अपने 1/3 हिस्से अनुसार काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है तथा काश्त करती आ रही है, जिसमें प्रतयर्थीगण को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो को अपने हक हिस्से से अधिक भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है तथा हिस्से से अधिक भूमि का बेचान शुरुआत से ही निष्प्रभावी है। प्रत्यर्थीगण को विवादित भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। क्रेता सावधान का नियम लागू होता है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थीनी के पक्ष में हैं। प्रत्यर्थीगण मौके पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते है या निर्माण कर लेते है तो वस्तुस्थिति बदल जायेगी तथा विवाद व मुकदमेबाजी बढने की पूर्ण संभावना है, जिससे अपीलार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किया जाना नामुमकिन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दिये तथा हिंदु उतराधिकार अधिनियम की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 को निरस्त किया जावे एवं मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपील बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज किया है। अपीलार्थीनी द्वारा ऐसा कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीनी का कब्जा काश्त हो। कानूनन बिना कब्जा काश्त के अपीलार्थीनी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2023 बअनवान आशादेवी बनाम बीजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नामांतरकरण 15/146 ग्राम बड़ी सिड के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 26 रकबा 310 बीघा 04 बिस्वा अपीलार्थीया के पिता बुधा वल्द बता के नाम से दर्ज रहने से प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीया की पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के मुताबिक वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीया का पुश्तैनी 1/3 हिस्सा प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलार्थीया के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय मे अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2023 को अपास्त किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 26 रकबा 310.04 बीघा ग्राम बड़ीसिड़(जम्भेश्वरनगर द्वितीय) के मौके की यथास्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2023 बअनवान आशादेवी बनाम बीजाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	